न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 61/2023 (RCMS : 2023/83)

1. **जगदीश कुमार** पुत्र रामजीलाल पुत्र श्री डूंगरराम जाति कुम्हार निवासी चक 9 एफ.डी.एम. फरीदसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. **विमला देवी** पत्नी रामजीलाल पुत्र डूंगरराम जाति कुम्हार, चक 9 एफ.डी.एम. फरीदसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. **रामजीलाल** पुत्र डूंगरराम जाति कुम्हार, चक 9 एफ.डी.एम. फरीदसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. **प्रेम कुमार** पुत्र रामजीलाल पुत्र डूंगरराम जाति कुम्हार, चक 9 एफ.डी.एम. फरीदसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. **कमला देवी** पुत्री रामजीलाल पुत्र डूंगरराम पत्नी रामकुमार पुत्र भादरराम जाति कुम्हार निवासी चक 196 हैड़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. **उपपंजीयक, सूरतगढ़** तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
6. **शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक जै**तसर जिला श्रीगंगानगर
7. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूर**तगढ़, जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.03.2024

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अनवानी विमला बनाम रामजीलाल अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 209 आर.टी.एक्ट 1955 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया [illegible] उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के स्थानान्तरण होने के कारण उनकी मुन्तकिली [illegible] खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:40:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अनवानी विमला बनाम रामजीलाल अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 209 आर.टी.एक्ट 1955 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:40:08 IST
Reason: SelfAttested